

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प शेखरिया

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शेखरिया व भू.अ.नि. दांडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दांडा तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 154 नया 31 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	दांडा	154 नया 31 पुराना	रेखा पुत्र नाराणा	रेखा उर्फ एनुमानराम पुत्र नाराणा
		रहन व अन्याय प्रविष्टि प्रभाव		

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक :-

2634
14-6-18

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रेखा उर्फ एनुमानराम पुत्र नाराणा की सूचना।
3. रक्षित पत्रावली।

जाट नि शेखरिया

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

Entered 106
14-6-18

DL

2634/18